न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम० 129/2020 धारा–144 द०प्र०सं०

रिसी देवी.....प्रथम पक्ष

बनाम

शिवशंकर सेठ .....द्वितीय पक्ष

आदेश

15.10.2020.

प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन के आलोक में विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में शांति भंग होने की संभांवना को देखते हुए विवादित भूमि पर द० प्र० सं० की धारा–144 के तहत दोनो पक्षों के विरूद्व कार्यवाही प्रारंभ किया गया। साथ–ही साथ उभय पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 60 (साठ) दिनों तक के लिए रोक लगाया गया।

उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित भूमि विवरणी

मौजा–सारजमडीह, थाना–तमाड़, थाना संख्या–199

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
360	1230	0.08 ए०
	1231	0.1 ए०
	1232	0.2 ए०

चौहदी उ०–गंगाधर मुण्डा, द०–रास्ता, पू०–सेठ, प०–रास्ता

प्रथम पक्ष का पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न उल्लेख किये है:–

1. यह है कि प्रथम पक्ष शांति प्रिय व्यक्ति है एवं कानून को मानने वाला व्यक्ति है। प्रथम पक्ष के हाथों शांति भंग होने की संभावना नहीं है।

2. यह है कि विवादित जमीन आर. एस. खतियान में सोहन स्वांसी पिता–देबु स्वांसी के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत अपने पीछे पुत्र तारा स्वांसी को छोड़कर स्वर्गवास हो गए। तारा स्वांसी अपने पीछे पत्नी रिसी देवी एवं पुत्र बसंत स्वांसी, जीतु स्वांसी, सामचांद स्वांसी को छोड़कर स्वर्गवास हो गए। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का शांति पूर्वक दखलकार है। द्वितीय पक्ष ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का किसी प्रकार का हक एवं दावा नहीं बनता है। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत प्रथम पक्ष के हित में रिक्त करते हुए इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष का पक्ष

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न उल्लेख किये है:–

1. यह वाद चलने योग्य नहीं है। द्वितीय पक्ष के कंमाक–2 घनसी सेठ (घासी सेठ)

आदेश की तिथि	आदेश	
15/10/2020	की स्वाभाविक मृत्यु गत दिनांक 05 अगस्त 2019 को ही हो चुकी है। 2. यह है कि विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष के पिता चन्द्रमोहन सेठ ने दो किता में लेकर लगातार मकान बनाकर रह रहे है। जिसका दिनांक 26/10/1961, पट्टा संख्या–6042 एवं दिनांक 21/07/1961 पट्टा संख्या–4550 के आधार पर निबंधन द्वारा विपक्षी के पिता के नाम हासिल है। 3. यह है कि मौजा–सारजमडीह, थाना–तमाड़, थाना संख्या–199 के खाता संख्या–360, प्लॉट संख्या–1230, रकवा–0.08 ए० जमीन नामे घरबाड़ी आर. एस. खतियान में सोहन स्वांसी पिता–देबु स्वांसी के नाम से दर्ज पाया गया है। 4. यह है कि खाता का वंशावली निम्न प्रकार है:– सोहन स्वांसी के पुत्र दलगोविन्द स्वांसी (बिकेता) हुए। विवादित जमीन को खतियानी रैयत विपक्षी के पिता को निबंधित केवाला द्वारा हस्तांतरण कर चुका है। उन्होने वाद की कार्यवाही को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। आदेश :– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन प्रथम पक्ष की खतियानी संपति के आधार पर दावा कर रहे है। द्वितीय पक्ष निबंधित केवाला पट्टा से प्राप्त करने के आधार पर दावा कर रहे है एवं खतियान में विवादित प्लॉट संख्या–1230 में आवासीय मकान दर्ज है। वाद को समाप्त करने हेतु आग्रह किया गया है। आर. एस. खतियान से स्पष्ट होता है कि विवादित प्लॉट संख्या–1230 में मकान सहन दर्ज है। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद को निरस्त किया जाता है। इसी निरूपण के साथ वाद में अभिलेख की कार्यवाही को बंद की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 15/10 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बुण्डू(राँची) 15/10 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बुण्डू(राँची)	